29.01.2026 — प्रार्थी वादी के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली प्राप्त तथ्यों की गयी। इन्हें मेरा विपक्षी प्रस्तुत हो चुकी है तथा श्री विपक्षी गण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अन्तिम सुनी गयी।

विपक्षी प्रार्थना पत्र अभिलेख स्वीकार किया जाता है विपक्षी निर्णय एवं डिक्री लिखापढ़ी जारी प्रतिवादी विपक्षी किया गया। तहसीलदार सिमलाखेत से प्रस्तुत मौका विपक्षी निर्णय पर अमल करेंगे।

पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी